राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

धातु मिश्रित मांजा बेचने वालो के विरूद्व कार्यवाही, मांजा जप्त एक गिरफ्तार

जयपुर, 9 जनवरी। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) श्री कुवंर राष्ट्रदीप ने बताया कि जयपुर महानगर में सभी तरह का मांजा जिसमें धातुओं का मिश्रण लगा हुआ है के उपयोग से आमजन एवं पक्षियों को हानि पहुॅचने की संभावना है। इस मांजे के उपयोग से बिजली के तारों को छू जाने से करंट आकर जन हानि होने की भी संभवना बनी रहती है। आम नागरिको व पशु पक्षियो के जान माल की सुरक्षा हेतु तत्काल निवारक कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में श्री हनुमान प्रसाद, अति0 पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर (पूर्व) के निर्देशन मे जिला पूर्व मे सभी तरह के मांजा जिसमे धातुओं का मिश्रण लगा हुआ है के बेचने वाला पर प्रभावी/ तत्काल कार्यवाही के संबंध में दिनांक 09.01.18 को बलराम उप निरीक्षक मय जाप्ता के गस्त हेतु रवाना हुआ था। दौराने गस्त दुकान नं0 140 ध्रुव मार्ग गुरूनानकपुरा राजापार्क मे अंकुश शर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा उम्र 24 साल निवासी म0न0 35/67 रजत पथ मानसरोवर पुलिस थाना मानसरोवर जयपुर हाल दुकान नं0 140 ध्रुव मार्ग गुरूनानकपुरा राजापार्क पुलिस थाना आदर्श नगर जयपुर को मिश्रित धातु युक्त मांजा बेचते हुये पाया गया जिसके कब्जे से 3 धातु मिश्रण युक्त मांजा 3 चरखीयॉ जप्त कर आरोपी को धारा 188 आईपीसी मे गिरफतार किया जाकर अभियोग संख्या 20/18 धारा उपरोक्त में पंजीबद्व किया जाकर अनुसंधान जारी है।